

गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली - दिशानिर्देश

यह निर्णय लिया गया था कि गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न पोर्टफोलियो में प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र प्रणाली के भाग के रूप में परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए। उल्लिखित दिशानिर्देश सभी गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं, चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं / रखती हैं या न स्वीकार करती/रखती हों। तथापि, प्रारंभ में (उपकरण पट्टे पर देने वाली, किराया खरीद वित्त, ऋण, निवेश और अवशिष्ट गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यों में संलग्न या उस रूप मेंवर्गीकृत) एवं 31 मार्च 2001 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के आधार वाली (चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं/जनता की जमाराशियाँ रखती हैं या न स्वीकार करती/रखती हों) या 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जनता की जामराशियों की धारक होने (भले ही उनकी परिसंपत्तियों का आकार कुछछभी क्यों न हो) के मानदण्ड पूरे करने वाली गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करनी है।

इस संबंध में अर्द्ध वार्षिक सूचना देने की प्रणाली शुरूकी गयी और पहली परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन विवरणी 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार एक माह के भीतर अर्थात् 31 अक्टूबर 2002 से पूर्व एवं तदुपरांत उसी प्रकार केवल उन गैर ब्वैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी थीं जो जनता की जमाराशियों की धारक हैं। अर्द्ध वार्षिक विवरणियों में निम्न तीन भाग शामिल होंगे:

- (i) एएलएम फार्मेट में विन्यासगत चलनिधि का विवरण
- (ii) एएलएम फार्मेट में अल्पावधि गतिशील चलनिधि का विवरण
- (iii) एएलएम फार्मेट में ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण

जनता की जमाराशियाँ न रखने वाली कंपनियों के मामले मेंपृथक पर्यवेक्षी व्यवस्था की जाएगी और उसे यथासमय सूचित किया जाएगा।

(27 जून 2001 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में रखी जमाराशियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख (QB)के अंतर्गत, नामांकन नियम

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45थ ख के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.एक्ट) की धारा 45 य के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार **एक व्यक्ति** को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। नियमों की एक प्रति संलग्न की गई थी। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जमाकर्ताओं द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म जैसे फार्म में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

(28 जुलाई 2003 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 27/02.05/2003-2004 में ब्योरे दिए गए हैं)

चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 झ ख के उपबंधों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को चल परिसंपत्तियां सरकारी प्रतिभूतियों/गारंटीशुदा बांडों के स्पष्ट में रखने की अपेक्षा है और ऐसी प्रतिभूतियों को किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में ग्राहकों के सहायक सामान्य लेजर खाते में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत किसी निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में अमूर्त खाते में अथवा जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों को अभी अमूर्त स्वरूप दिया जाना हो उस सीमा तक किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की किसी शाखा में रखने की अपेक्षा है ।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने हेतु "ग्राहक के सहायक सामान्य लेजर खाते" या अमूर्त खाते को बनाए रखा जाएगा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झ ख के अनुपालनार्थ धारित प्रतिभूतियों को रखा जाएगा । जनता की जमाराशियों में वृद्धि या कमी होने पर प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या प्रतिभूति की परिपक्वता(अवधिपूर्णता) पर नकदीकरण के लिए या विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को चुकौती के लिए इस खाते का उपयोग किया जाना चाहिए तथा इस खाते का प्रयोग रिपो या अन्य लेन-देन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित) ऊल्लिखित पैराग्राफ में अनुमति से भिन्न तरीके की सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन(सौदा) करती है तो उसे एतदर्थ एक दूसरा सीएसजीएल खाता खोलना होगा ।

यह देखा गया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने या तो सरकारी प्रतिभूतियों को अमूर्त स्वरूप प्रदान नहीं किया है या उनको अमूर्त स्वरूप प्रदान कर दिया है, परंतु उसकी सूचना रिजर्व बैंक को देने में असमर्थ रही हैं। इस प्रयोजन के लिए, तिमाही चल परिसंपत्ति विवरणी -एनबीएस-3 और एनबीएस-3 ए के सूचना देने के फॉर्मेटों में संशोधन किया गया है

ताकि अमूर्त खाते (डिमैट खाते) के संबंध में सूचना शामिल की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उपर्युक्त सूचना देने में चूक न हो।

यह भी संभव है कि कुछ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियाँ / सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड हों, जिन्हें अमूर्त नहीं कराया गया हो और जो कागजी रूप में हों जिन्हें नामनिर्दिष्ट बैंक से ब्याज के संग्रहण हेतु सुरक्षित अभिरक्षा से आहरित किया जाता हो और ब्याज संग्रहण के बाद उक्त बैंक में उन्हें पुनः जमा कर दिया जाता हो।

उक्त प्रतिभूतियों को आहरित करने और पुनः बैंक में जमा करने की प्रक्रिया से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ कागजी रूप में रखी हुई इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज के संग्रह और उन्हें पुनः अभिरक्षा में रखने के लिए नामनिर्दिष्ट बैंक/कों को एजेंट/टों के रूप में प्राधिकृत करेंगी ताकि ये बैंक इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज संग्रह कर लें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ अपने नाम निर्दिष्ट बैंकर से संपर्क करें और नामनिर्दिष्ट बैंक के पक्ष में मुख्तारनामा दें ताकि वे कागजी रूप में रखी प्रतिभूतियों/रखे गारंटीकृत बांडों पर नियम तारीख/खों को ब्याज संग्रहीत कर सकें।

(31 जुलाई 2003 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 28/02.02/2002-2003 तथा 17 मई 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 37/02.02/2003-2004 में घोषित हैं)

जनता की जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली श्रेणी में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त शर्त के रूप में न्यूनतम 200 लाख स्पये की निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा

21 अप्रैल 1999 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 132/ सी जी एम (वी एस एन एम)- 99 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली नई कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत

निधियों की अपेक्षा बढ़ा कर 200 लाख स्पये कर दी गई। जनता की जमाराशियां स्वीकार न करने वाली श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यदि जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करना चाहें तो उसकी पात्रता के लिए वे 200 लाख स्पये की न्यूनतम पूंजी की अपेक्षा को पूरी करें।

(24 जुलाई 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 42/02.59/2004-2005 में ब्योरे दिए गए हैं)

विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेश - प्रति वर्ष 31 मार्च को तुलन-पत्र तैयार करना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 9-ख के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को प्रति वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करना है। जब कभी किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इस प्रयोजन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पहले उसे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में भी जहां भारतीय रिजर्व बैंक और कंपनी रजिस्ट्रार समय विस्तार की मंजूरी देते हैं, कंपनी को उस वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रोफॉर्मा तुलनपत्र (गैर लेखा-परीक्षित) और उपर्युक्त तारीख को नियत सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(10 अगस्त 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 43/05.02/2004-2005 में ब्योरे दिए गए हैं)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(IA) के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार जारी रखना - सांविधिक लेखापीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना - स्पष्टीकरण

यह देखा गया है कि ऐसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं जो अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में नहीं लगी हैं और इसलिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता नहीं है/की पात्र नहीं हैं, किन्तु वे फिर भी उसे अपने पास रखे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ही इन्हें अपने पास रखें जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी हैं, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी हैं और इसलिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-शक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार का तात्पर्य किसी कंपनी का ऐसे वित्तीय कार्य में लगा होना है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I(a) में अंतर्विष्ट है। इस प्रयोजन के लिए 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति सं. 1998-99/1269 में दी गई "प्रधान कारोबार की परिभाषा" का अनुकरण किया जाए।

(21 सितंबर 2006 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 79/03.05.002/2006-2007 एवं 19 अक्तूबर 2006 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 81/03.002 /2006-2007 में व्योरे दिए गए हैं)

हाजिर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमोंमें आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। संशोधित दिशानिर्देश, 2 अप्रैल 2004 से प्रभावी हैं।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को संबोधित 11 मई 2005 के परिपत्रों सं. आइडीएमडी. पीडीआरएस. 4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 का अवलोकन करें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

(11 जून 2004 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 38/02.02/2003-2004 एवं 9 जून 2005 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 49/02.02/2004-2005 में व्योरे दिए गए हैं)

नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन होने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा शाखा/कार्यालय बंद करने, (ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा स्वामित्व के बिक्रय / अंतरण के बारे में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करने की आवश्यकता

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में इस आशय की नोटिस, जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध सहित देंगी।

(ख) (i) शेयरों की बिक्री से स्वामित्व के बिक्रय या अंतरण या नियंत्रण का अंतरण चाहे वह शेयरों की बिक्री से हो या बिना बिक्री के, उसके प्रभावी होने से 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस दी जाएगी। ऐसी सार्वजनिक नोटिस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा दी जाएगी तथा अंतरक, या अंतरिती या संबंधित दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

इस प्रयोजन के लिए "नियंत्रण" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारी मात्रा में शेयरों का अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमावली, 1997 के विनियम 2(1)(ग) में दिए गए तात्पर्य से है।

(ii) सार्वजनिक नोटिस में स्वामित्व/नियंत्रण के बिक्रय या अंतरण का अभिप्राय, अंतरिती के ब्योरे और स्वामित्व/नियंत्रण के ऐसे बिक्रय या अंतरण के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। सार्वजनिक नोटिस एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में प्रकाशित की जानी चाहिए।

प्रबंधन में परिवर्तन तथा विलयन / समामेलन

यह भी देखा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर वित्तीय कंपनी के साथ समामेलन/विलयन से भी होता है, इस प्रकार इन विलयनों/समामेलनों का परिणाम भी उक्त प्रबंधन परिवर्तन में होगा।

प्रबंधन में परिवर्तन या किसी कंपनी में विलयन या समामेलन चाहने वाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक जमाकर्ता को यह निर्णय लेने का विकल्प दे कि कंपनी के नए प्रबंधन या अंतरिती कंपनी के तहत वह जमाराशियाँ चाहे तो जारी रखे या न रखे। कंपनी का यह भी दायित्व होगा कि वह अपनी जमाराशियों का भुगतान चाहने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करे। उक्त अनुदेशों के अनुपालन न करने को बैंक गंभीरता से लेगा और चूककर्ता कंपनी के खिलाफ मामले के गुण-दोषों के आधार पर बैंक दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

उल्लिखित अनुदेशों में जनवरी 2006 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

(i) उच्च न्यायालय के आदेश से विलयन और समामेलन

(क) जहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के अनुसरण में उच्च न्यायालय के आदेश से विलयन और समामेलन होता है, वहाँ कंपनी न्यायालय के आदेश की तारीख से एक माह के अंदर विलय और समामेलन को अनुमोदित करने के न्यायालय के आदेश के साथ रिजर्व बैंक को सूचित करेगी। चूंकि कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम एवं उसके तहत बनी नियमावली के अंतर्गत इस संबंध में पहले से सार्वजनिक नोटिस देनी होती है, अस्तु अब इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनियों को रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में सार्वजनिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथापि, 13 जनवरी 2000 के हमारे कंपनी परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभाग)कंपरि सं./ 12/02. 01/99-2000 के पैराग्राफ सं. 5(iii)(ख) में अंतर्विष्ट अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

(ii) अन्य मामले

जहाँ उक्त उप पैराग्राफ (i) में वर्णित मामले से भिन्न कंपनी का विलय और समामेलन या उसके प्रबंधन में बिक्री/अंतरण से परिवर्तन होता है वहाँ (जमा राशियाँ स्वीकारने वाली और न स्वीकारने वाली) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जिनमें अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ शामिल हैं) इस संबंध में 30 दिन पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगी।

(15 नवंबर 1999 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.11/02.01/99-2000, 13 जनवरी 2000 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.12/02.01/99-2000, 24 जनवरी 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.63/02.02/2005-2006 तथा 27 अक्तूबर 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.82/03.02.02/2006-2007)

सार्वजनिक जमाराशियों(निष्केप) के लिए कवर-जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चल परिसंपत्तियों पर चल प्रभार का सुजन(क्रिएशन)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने परिचालनों के लिए विभिन्न श्रोतों जैसे जनता से जमाराशियाँ, बैंकों से उधार, अंतर-कंपनी जमाराशियाँ, सुरक्षित/असुरक्षित डिबेंचरों आदि के द्वारा निधियों को जुटाती हैं।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए हमेशा पूर्ण कवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कवर की गणना करते समय सभी (सुरक्षित/असुरक्षित) डिबेंचरों की कीमत तथा सभी वाह्य देयताओं, जो जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं से भिन्न हों, को कुल परिसंपत्तियों में से घटा दिया जाए। इसके अलावा, एतदर्थ परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य या वसूलनीय/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर आंका जाए। संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्तानुसार आकलित परिसंपत्तियाँ यदि जनता की जमाराशियों के प्रति देयताओं को कवर करने से कम हों तो वह रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे।

जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/ जमाराशियों की धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिया गया था कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के अनुसार निवेशित सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर बहुसंख्यक जमाकर्ताओं के पक्ष में प्रभार सृजित करने में व्यक्त की गई व्यावहारिक कठनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय बाद में लिया गया कि जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/जमाराशियों की धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख एवं समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रखी गई सांविधिक

चल परिसंपत्तियों पर "ट्रस्ट विलेख" क्रियाविधि से अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें।

(7 फरवरी 2005 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 47/02.01/2004-2005 एवं 4 जनवरी 2007 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 87/03.02.004/2006-2007 में ब्योरे दिए गए हैं)

कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज) संघ(FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कार्पोरेट बांड लेन-देनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ को अपना रिपोर्टिंग प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति दी है। यह भी अधिदेश दिया गया है कि इस प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किए गए कारोबार/ ट्रेड का योग किया जाए साथ ही बीएसई तथा एनएसई पर रिपोर्ट किए गए कारोबार को समुचित रूप में प्रभावी बनाकर उन्हें भी रिपोर्ट किया जाए।

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ओवर दि काउंटर मार्केट - कार्पोरेट बांड- सेकंडरी बाजार में किए गए लेनदेनों को फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर 1 सितंबर 2007 से रिपोर्ट करें। इस विषय पर परिचालन संबंधी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत फिमडा द्वारा जारी किए जाएंगे। तब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ नमूना रिपोर्टिंग-अभ्यास के लिए फिमडा से सीधे संपर्क करें।

(31 जुलाई 2007 के परिपत्र गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 105/03.10.001/2007-2008 में ब्योरे दिए गए हैं)

अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" की राष्ट्रीय सूची(नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

दूर संचार माध्यमों का उपयोग करके वाणिज्यिक कारोबार करने या बढ़ाने हेतु एजेंटों/व्यवसाय परिचालनों को बाहर से करवाने (आउटसोर्स बिजनेस आपरेशन्स) का व्यवहार भारत में उभर रहा है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि आम लोगों के निजत्व (प्राइवेसी) के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाए और सर्वोत्तम व्यवसाय व्यवहार (के भाग) के रूप में ग्राहकों/ग्राहकेतर लोगों को आने वाले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण पर, शिकायतों को कम करने के लिए, रोक लगायी जाए ।

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण को रोकने के लिए दूर संचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियमन ("दि टेलीकाम अनसालिसिटेड कमर्शियल कम्प्युनिकेशन्स (यूसीसी) रेगुलेशन,) बनाया है। इसके अलावा, दूर संचार विभाग (DoT) ने 6 जून 2007 को टेलीमार्केटर्स को सबंधित दिशानिर्देश के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी की है। इन दिशानिर्देशों से टेलीमार्केटर्स को दूर संचार विभाग (DoT) या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि टेलीमार्केटर्स अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के संबंध में दूर संचार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा आदेशों/निर्देशों एवं ट्राई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि:

- i) वे ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो ;
- ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें ; तथा
- iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, वे दूर संचार विभाग (DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमार्केटर्स के रूप में करवा लें ।

(26 नवंबर 2007 के परिपत्र गैबैपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 109 / 03.10.001/
2007-2008)

जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के
लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा

मार्गदर्शी सिद्धांतों के निरूपण में बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले परामर्शी रुख के तहत जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि करने संबंधी परिपत्र का प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर 21 मई 2007 को रखा गया था।

इस संबंध में प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार किया गया था। जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियाँ न्यूनतम 200 लाख रुपए तक धीरे-धीरे, बिना रकावट एवं अविभेदी तौर पर बढ़ा कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है कि:

- (a) 200 लाख रुपए से कम की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा धारित जमाराशियों को, पहले कदम के रूप में, मौजूदा स्तर पर रोक दें।
- (b) इसके अलावा, न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग एवं 12% CRAR वाली परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के डेढ़ गुने तक ले आएं जबकि अन्य कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर 31 मार्च 2009 को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के स्तर के बराबर ले आएं।
- (c) ऐसी कंपनियाँ जो वर्तमान में कतिपय स्तर तक जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने की पात्र हैं किन्तु जिन्होंने, किन्हों कारणों से, उस स्तर तक जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की हैं, उन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट संशोधित सीमा/स्तर तक जनता से राशियाँ स्वीकार करने की अनुमति होगी।

- (d) 200 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियों का स्तर प्राप्त करने पर कंपनियाँ उन्हें प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- (e) विनिर्दिष्ट समय सीमा में निर्दिष्ट स्तर न प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उचित छूट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें, जिन पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

(17 जून 2008 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 114/03.02.059/2007-2008 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनर्वर्गीकरण

6 दिसंबर 2006 के कंपनी परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 85/03.02.089/2006-07 में यह सूचित किया गया था कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो उत्पादक/आर्थिक गतिविधि के लिए स्थावर (रियल)/भौतिक (फिजिकल) परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में लगी हैं उन्हें उक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, प्रस्तावित ढांचे में उनके निम्नलिखित वर्ग उभरे/बने हैं:

- (i) परिसंपत्ति वित्त कंपनी
- (ii) निवेश कंपनी
- (iii) ऋण कंपनी

तदनुसार, यह सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करने वाली कंपनियाँ बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति के साथ परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में मान्यता के लिए हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता है। अपने अनुरोध पत्र के साथ कंपनियाँ 31 मार्च 2006 को उनकी परिसंपत्ति/आय पैटर्न का उल्लेख करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें।

चूंकि परिपत्र जारी हुए काफी समय बीत गया है, अस्तु यह निर्णय लिया गया है कि उपकरण पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियाँ 31 मार्च 2008 को उनकी परिसंपत्ति/आय पैटर्न का उल्लेख करने वाले सांवधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ उचित वर्गीकरण के लिए हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तुरंत किन्तु अधिकतम 31 दिसंबर 2008 तक संपर्क करें, उसके बाद इस वर्गीकरण के लिए विकल्प का उपयोग न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण कंपनी माना जाएगा।

(6 दिसंबर 2006 के परिपत्र गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 85/03.02.089/2006-2007 एवं 15 सितंबर 2008 के परिपत्र गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 128/03.02.059/2008-2009 में व्योरे दिए गए हैं)

50 करोड़ स्पष्ट एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ स्पष्ट से कम परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क

यह निर्णय लिया गया था कि 50 करोड़ स्पष्ट एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ स्पष्ट से कम की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से आधारभूत (बेसिक) सूचना तिमाही अंतराल पर मंगायी जाए। ऐसी पहली विवरणी सितंबर 2008 को समाप्त तिमाही के लिए दिसंबर 2008 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जानी थी। प्रत्येक तिमाही के अंत में यह विवरणी संबंधित तिमाही के अनुवर्ती माह में हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है, ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी थी और ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया बाद में सूचित करने की सूचना दी गयी थी।

जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर ये अनुदेश लागू हैं उन्हें इस संबंध में बाद में यह सूचित किया गया था कि, आनलाइन विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की सूचना मिलने तक, वे उक्त विवरणी की हार्ड एवं साफ्ट कापी (ई-मेल से एक्सेल फार्मेट में) संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में संबंधित कंपनी पंजीकृत है।

(24 सितंबर 2008 के परिपत्र गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130/03.05.002/2008-2009 एवं 2 मार्च 2009 के गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 137/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार(treatment)

चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:

-आस्थगित कर देयता खातेगत शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।

- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

-जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) की गणना सहित सभी विनियामक अपेक्षाओं के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उल्लिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं (DTL) को "अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों (DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से अग्रानीत अगोचर परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

- (i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ (DTA); तथा
- (ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगति कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति परिसंपत्तियों को छोड़कर) से बेशी हों, वहाँ ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

(31 जुलाई 2008 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 124/03.05.002/2008-2009 एवं 9 जून 2009 के गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 142/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

xxxxx

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.11/02.01/99-2000	15 नवंबर 1999
2.	गैबैंपवि.(नीति प्रभाग)कंपरि सं./ 12/02.01/99-2000	13 जनवरी 2000
3.	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001	27 जून 2001
4.	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 27/02.05/2003-2004	28 जुलाई 2003
5.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 28/02.02/2002-2003	31 जुलाई 2003
6.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 37/02.02/2003-2004	17 मई 2004
7.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 38/02.02/2003-2004	11 जून 2004
8.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 42/02.59/2004-2005	24 जुलाई 2004
9.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 43/05.02/2004-2005	10 अगस्त 2004
10.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 47/02.01/2004-2005	7 फरवरी 2005
11.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 49/02.02/2004-2005	9 जून 2005
12.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.63/02.02/2005-2006	24 जनवरी 2006
13.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 79/03.05.002/2006-2007	21 सितंबर 2006
14.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 81/03.05.002/2006-2007	19 अक्टूबर 2006
15.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.82/03.02.02/2006-2007	27 अक्टूबर 2006
16.	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 85/03.02.089/2006-2007	6 दिसंबर 2006
17.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 87/03.02.004/2006-2007	4 जनवरी 2007

	2007	
18.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 105/03.10.001/2007- 2008	31 जुलाई 2007
19.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 109/03.10.001/2007- 2008	26 नवंबर 2007
20.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 114/03.02.059/2007-2008	17 जून 2008
21.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 124/03.05.002/2008-2009	31 जुलाई 2008
22.	गैबैंपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 128/03.02.059/2008- 2009	15 सितंबर 2008
23.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130/03.05.002/2008	24 सितंबर 2008
24.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 137/03.05.002/2008- 2009	2 मार्च 2009
25.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 142/03.05.002/2008- 2009	9 जून 2009